## न्यायालय–सिविल जज(सीनियर डिवीजन),बांदा।

उत्तराधिकार प्रकीर्ण वाद सं0–91/70/2019

सीएनआर नंबर–यूपीबीडी050041972019 रजि.89/2019

श्रीमती आरती देवी बनाम श्रीमती अपर्णा देवी

**23.10.2020**

**निस्तारण प्रार्थनापत्र 4क1**

आवेदिका श्रीमती आरती देवी उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्री स्व0 दयाराम उर्फ मुन्नीलाल पत्नी राजन निवासी मुहल्ला जी.आई.सी. हास्टल के पीछे सिविल लाइन शहर बॉदा तहसील व जिला बॉदा की ओर से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रार्थनापत्र 4क1 प्रस्तुत किया गया है।

आवेदिका का कथन है कि इस न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रकीर्ण वाद संख्या 50/70/19 आरती देवी विरूद्ध श्रीमती अपर्णा देवी आदि संस्थित किया था जिसमें धनराशि 11,65000/– रूपये उस समय की अवशेष जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किया गया था और उसी के आधार पर दिनांक–08.11.2019 को न्यायालय द्वारा आवेदिका के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। आवेदिका को उक्त आदेश के पश्चात् ही जानकारी हुई कि निम्नलिखित धनराशि 1–भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने वाली धनराशि 24,24000/–रूपये एंव 2–उपडाकपाल से प्राप्त होने वाली राशि मुबलिग 1,45847/–रूपये कुल मुबलिग 25,89000/–रूपये की धनराशि को भी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र में जोड़ा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना की है कि प्रकीर्ण वाद सं.50/70/2019 में निर्गत आदेश दिनांक 08.11.2019 में धनराशि 25,89000/–रूपये को जोड़ने की कृपा की जावे। प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र 5ग2 दाखिल किया गया है।

आवेदिका की ओर से सूची 7ग1 से आदेश दिनांक 08.11.2019 की प्रमाणित प्रति भी दाखिल की गयी है।

विपक्षी श्रीमती अपर्णाकी ओर से 9ग2 अनापत्ति भी दाखिल की गयी है एंव कहा गया है कि उपरोक्त धनराशि का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आवेदिका के पक्ष में जारी करने में उसे कोई आपत्ति नही है।

मैंने सुना एंव पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

मूल पत्रावली प्रकीर्ण वाद संख्या 50/70/19 मूल रूप से तलब होकर पत्रावली में संलग्न है जिसके परिशीलन से विदित है कि उक्त प्रकीर्ण वाद का निर्णय दिनांक–08.11.2019 को हो चुका है जिसमें आवेदिका श्रीमती आरती देवी के पक्ष में मृतका श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी स्व0दयाराम वर्मा की पालिसी की एंव राष्ट्रीय बचतपत्र की धनराशि मुबलिग 11,65000/–रूपये के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

आवेदिका श्रीमती आरती देवी का कथन है कि मृतका श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी स्व0दयाराम वर्मा की 1–भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने वाली धनराशि 24,24000/–रूपये एंव 2–उपडाकपाल से प्राप्त होने वाली राशि मुबलिग 1,45847/–रूपये कुल मुबलिग 25,89000/–रूपये की धनराशि आदेश दिनांक 08.11.2019 में लिखने से रह गयी है अतः उक्त धनराशि को सम्मिलित करते हुये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश पारित करने की कृपा की जावे। आवेदिका श्रीमती आरती देवी की ओर से आज दिनांक–23.10.2020 को हलफनामा/अण्डरटेकिंग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त 1–भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने वाली धनराशि 24,24000/–रूपये एंव 2–उपडाकपाल से प्राप्त होने वाली राशि मुबलिग 1,45847/–रूपये कुल मुबलिग 25,89000/–रूपये की धनराशि का उल्लेख आदेश दिनांक 08.11.2019 में नहीं हो सका है इसलिये न्यायहित में उक्त धनराशि के संबंध में भी आदेश पारित किया जावे तथा यदि उक्त बीमा धनराशि एंव उपडाकपाल की धनराशि के संबंध में यदि भविष्य में किसीप्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तब शपथकर्ती उक्त धनराशि को जमा करने की पूर्ण जिम्मेदार होगी।

प्रकीर्ण वाद संख्या 50/70/2019 श्रीमती आरती देवी बनाम श्रीमती अपर्णा देवी के अवलोकन से विदित है कि उक्त प्रकीर्ण वाद के पक्षकार मुकदमा एंव प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद के पक्षकार मुकदमा एक ही है एंव दोनों में ही मृतका श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी स्व0दयाराम वर्मा की जमा धनराशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत करने की याचना की गयी है। मृतका कमलेश के नाम एल0आई0सी0में जमा धनराशि के संबंध में आख्या 28ग2 एंव डाकघर की आख्या 26ग2 मूल रूप से पत्रावली में उपलब्ध हैं। लिहाजा आवेदिका श्रीमती आरती का प्रार्थनापत्र 4क1 तद्नुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

आवेदिका श्रीमती आरती देवी का प्रार्थनापत्र 4क1 स्वीकार करते हुये आदेश दिया जाता है कि आवेदिका के पक्ष में मु0 25,89,000/– एंव आदेश दिनांक 08.11.2019 को पारित आदेशानुसार मु011,65000/–रूपये मय ब्याज जिसका विवरण प्रार्थनापत्र में दिया गया है, के सम्बंघ में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किया जाये। आवेदिका सम्पूर्ण धनराशि हेतु वांछित न्यायशुल्क, स्टाम्प पेपर एवं इण्डेम्निटी बाण्ड एवं इतनी ही धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करें।

( भारतेन्दुप्रकाश गुप्ता )
सिविल जज(सीनियर डिवीजन ),
बांदा।

जेओकोड यूपी1874